भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2384

जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

बिहार में न्यायिक अधिकारियों के लिए आधिकारिक आवास की कमी

2384. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार के जिला न्यायालयों/निचले न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के लिए आधिकारिक आवास की निरंतर कमी से अवगत है, जो उनकी कार्य परिस्थितियों और वैयक्तिक कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने महिला न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा, गोपनीयता और न्यायालय परिसरों से निकटता सहित आवास संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का बिहार के जिला/निचले न्यायालयों में सभी न्यायिक अधिकारियों, विशेषकर महिलाओं, के लिए पर्याप्त और महिला अनुकूल आवास सुनिश्चित करने हेतु अतिरिक्त निधि आवंटित करने या कोई विशेष योजना आरंभ करने का विचार है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या समय-सीमा और विशिष्ट उपाय प्रस्तावित किए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा महिला न्यायिक अधिकारियों के लिए सुरक्षित, पर्याप्त और महिला अनुकूल आवास सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बिहार में समग्र न्यायिक अवसंरचना में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास की मुख्य ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों की है। तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के संसाधन बढ़ाने के लिए, केंद्रीय सरकार वर्ष 1993-94 से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचना

सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) लागू कर रही है, जिसके अधीन उन्हें केंद्र और राज्यों के बीच विहित निधि-बटवारा पैटर्न में वित्तीय सहायता दी जाती है। बिहार राज्य के मामले में, यह 60:40 के अनुपात में है। इस स्कीम के अधीन पांच घटक अर्थात् न्यायालय हॉल, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाई, वकीलों के हॉल, शौचालय प्रक्षेत्र और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष आते हैं ।

पटना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (प्रशासन) ने सूचित किया है कि न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयों सहित न्यायिक अवसंरचना सुविधा की देखभाल पटना उच्च न्यायालय करता है। इसके अतिरिक्त, बिहार सरकार पटना उच्च न्यायालय के साथ समन्वय करके आवासीय प्रक्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था देने के लिए आवश्यक कदम उठाती है।

स्कीम के आरंभ होने के समय से, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए सीएसएस के अधीन बिहार राज्य को 651.22 करोड़ रुपये की रकम (तारीख 31.01.2026 तक) जारी की गई है, जिसमें से 595.62 करोड़ रुपये वर्ष 2014-15 से जारी किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, बिहार राज्य सरकार को 62.98 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है (तारीख 31.01.2026 तक)। न्याय विकास पोर्टल के अनुसार, तारीख 31.01.2026 तक बिहार राज्य में 1,290 आवासीय इकाईयां हैं, जबकि कार्यरत पदसंख्या 1,665 है। इसके अतिरिक्त, तारीख 31.01.2026 तक 346 आवासीय इकाईयां बन रही हैं।

****